

श्री बीरेन्द्र कुमार, माननीय स०वि०स० / श्री महेश पासवान, माननीय स०वि०स०/ श्री अरुण मांझी, माननीय स०वि०स०/ श्री बैद्यनाथ प्रसाद, माननीय स०वि०स० एवं श्रीमती मीना कुमारी, माननीया स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना 02/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण एवं आधुनिकरण कार्य के लिए लगभग दस हजार करोड़ की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ, जिसमें मात्र 8678 करोड़, 29 लाख की प्रशासनिक एवं वैय की स्वीकृति का प्रस्ताव है। जिसमें दरभंगा एवं मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों को लिया गया है। किन्तु समस्तीपुर जिला वंचित रह गया है। शेष राशि से इस योजना का विस्तार समस्तीपुर जिले तक हो, जिससे 18 लाख किसान लाभान्वित होंगे और कृषि के साथ-साथ पेयजल का भी संकट समाप्त होगा।</p> <p>अतः सदन के माध्यम से समस्तीपुर जिला के पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण एवं आधुनिकरण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य हेतु ₹0 7832.29 करोड़ मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजनान्तर्गत पूर्व से निर्मित नहर प्रणाली में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य के साथ-साथ उग्रनाथ शाखा नहर, विदेश्वर स्थान उपशाखा के नहर एवं काकरघाटी शाखा नहर का विस्तारीकरण एवं इसके अंतर्गत नहर प्रणाली का निर्माण कार्य कराया जाना है।</p> <p>पूर्व से निर्मित नहर प्रणाली का अधिकांश भाग मधुबनी जिला में एवं आंशिक भाग दरभंगा जिला में अवस्थित है।</p> <p>पश्चिमी कोशी मुख्य नहर कोशी बराज के दायें शीर्ष नियामक से निकलती है जिसकी कुल लम्बाई 35.13 कि०मी० नेपाल भाग में तथा 56.69 कि०मी० भारतीय भाग में है। इस नहर का रूपांकित जलश्राव 8500 क्यूसेक है। इस जलश्राव के आधार पर ही निर्मित नहर प्रणाली एवं विस्तारीकरण के पश्चात नहर प्रणाली में जलश्राव प्रवाहित किया जाना है, जिसका अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा दी गई है। उग्रनाथ शाखा नहर, विदेश्वर स्थान उपशाखा नहर एवं काकरघाटी शाखा नहर का विस्तारीकरण के पश्चात भी इसका अंतिम छोर दरभंगा जिला में ही समाप्त हो जाता है।</p> <p>नहर प्रणाली का निर्माण रूपांकित जलश्राव के आधार पर ही किया जाता है। उपरोक्त वर्णित नहरों को इसके आगे विस्तारीकरण करने से इसकी उपयोगिता नहीं रह पाएगी।</p> <p>अतएव समस्तीपुर जिला में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का विस्तारीकरण करना तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0ध्याना0(द0)-01-02/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-164 दिनांक-16.03.2026 के प्रसंग में ध्यानाकर्षण सूचना सं0-02/26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0ध्याना0(द0)-01-02/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0ध्याना0(द0)-01-02/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0ध्याना0(द0)-01-02/2026-

2278

पटना, दिनांक-

22/05/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/10/26
22.05.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

22.05.26